

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक...../मुक्तां./स.पु./2022
5802


रायपुर, दिनांक 13/01/2022

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपए लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3
पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय नवा रायपुर में निर्मित छत्तीस खंबा चौक के पलोर में मरम्मत एवं अन्य कार्य।	8.356	04.02.2022

निविदा की सामान्य शर्तें विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
(विभाग के वेबसाइट में प्रसारित करने हेतु)


संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक...../मुक्तां./स.पु./ 2022

रायपुर, दिनांक 13/01/2022

5802

निविदा की शर्तें मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।


01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 04.02.2022 शाम 5:00 बजे तक।
02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2022 शाम 5:00 बजे तक।
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 11.02.2022 दोपहर 12.00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय नवा रायपुर में निर्मित छत्तीस खंबा चौक के फ्लोर में मरम्मत एवं अन्य कार्य।	8,35,600/-	16,000/-	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से 25 दिवस	750.00

निविदा की शर्तें :-

- अमानत की राशि एफ.डी.आर. जो कि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम 180 दिन की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओव्हर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम तथा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अंकित किया जाना आवश्यक है।
- ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है, उन्हें ही मान्य किया जावेगा।
- निविदा दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
- प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
- विशेष शर्त की कड़िका रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5 प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 12 माह की बैंक गारंटी ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं की जावेगी।
10. कार्य संबंधी सामग्री मानक कोटि की होनी चाहिए तथा उसे प्राधिकृत उप अभियंता से कार्य उपयोग में लाने से पूर्व अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
11. कार्य की जाँच समय-समय पर विभागीय अधिकारी द्वारा की जायेगी। कार्य में परिवर्तन/परिवर्धन करना (किसी प्रकार की कमी होने पर) आवश्यक होगा जिसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
12. कार्य के दौरान भवन/स्मारक और पुरावशेषों को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिये, क्षति पहुंचने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. कार्य के माप प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
14. निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें मान्य होगी।
15. इस निविदा में दी गई कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है। निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह अपनी लागत पर, कार्य स्थल और उसकी जांच करें और अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर, कोई भी जानकारी प्राप्त करें जो निविदा तैयार करने और विभाग के साथ एक अनुबंध करने के लिए आवश्यक हो।
16. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा संधि शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
17. उपरोक्त सामान्य शर्तें निविदा अनुबंध का भाग हैं। (केश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र अर्हता प्राप्त फर्म को मांगे जाने पर जारी करने हेतु)।
18. विवाद उत्पन्न होने पर संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. यदि कार्य संपादन में दोनों पक्षों में मतभेद नहीं होता और वह कार्यदेश की सीमाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रकरण का निपटारा लोक निर्माण विभाग/पुरातत्व विभाग के नियमों/मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जावेगा।
20. निविदा कर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा जमा करने की निर्धारित तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति वैध रहेगी।


 संचालक
 संस्कृति एवं पुरातत्व

:: सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन अवशेष राष्ट्र का गौरव है, जिसकी सुरक्षा करना हम सब का नैतिक दायित्व है। ::